>

Title: Need to strictly implement the laws providing for social security to unorganized labourers in Jammu and Kashmir.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : सभापति महोदय, भारत में असंगठित क्षेत्रों के मज़दूरों के लिए जो केंद्रीय कानून हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये कानून जम्मू-कश्मीर में कतई लागू नहीं हैं। इस कारण वहां का जो भी पहाड़ी मज़दूर है या खच्चर चलाने वाला व्यक्ति है, वह नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। यह अत्यंत गंभीर सवाल है। वहां पर शिवखौड़ी नाम की एक जगह है, जहां पर पर खच्चर चलते हैं। पूरे देश में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जितने भी वाहन चलते हैं, उनमें से एक साल में किसी को भी 30 हज़ार रूपये का टैक्स नहीं लगता है। जब कि वहां खच्चर पर एक साल में 30 हज़ार रूपये टैक्स लगता है। वहां पर मज़दूर दस दिन से अनशन पर हैं। दूसरा, वहां पर कोल माइंस हैं। वहां वेज का कोई सवाल नहीं है। तीसरा, अगर कोई निराश्रित है, विधवा है, आपको सुन कर आश्चर्य लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई विधवा पेंशन मांगने जाएगी तो कहेंगे कि एक के मर जाने के बाद आपका नाम लिखा जाएगा। वहां सत्ताधारी पार्टी के लोग या रसूखदार लोग होते हैं, उन्हीं की सिफारिश पर नाम लिखे जाते हैं। मनरेगा की स्थिति यह है कि मनरेगा में भी आपको तब नाम मिलेगा, जब वहां का कोई जनप्रतिनिधि आपकी सिफारिश कर देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई मज़दूर किसी जाति-धर्म और पार्टी से ऊपर होता है। देश की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए जो कानून हैं, वहां उनकी मॉनिट्रिंग नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से सदन से और सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जितने भी केंद्रीय कानून हैं, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। कम से कम ऐसे मामले जो अमानवीय हैं, उन पर सरकार को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। इन श्रम कानूनों को धारा-370 से बाहर किया जाए।